रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2013/फाल्गुन 8, 1934

No. 448] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2013/PHALGUNA 8, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2013

का.आ. 484(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 393(अ), दिनांक 12 मई, 1998 और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संख्या का.आ. 1097(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में क्रमश: राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के 27.800 कि.मी. से प्रारम्भ होकर रा.रा-4 के 13.800 कि.मी. (चेन्नई बाइपास चरण-1) पर संविलयन तथा रारा-4 के 13.800 कि.मी. से प्रारम्भ होकर तथा रारा-5 के 12.600 कि.मी. (चेन्नई बाइपास) पर संविलयन तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स एमईपी चेन्नई बाइपास टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जो 26-11-2012 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 410 बूमरेंग, चांदीवाली फार्म, रोड निकट चांदीवली स्टूडियो, अंधेरी ईस्ट-400072, महाराष्ट्र में है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के 29.151 कि.मी. से प्रारम्भ करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13.800 कि.मी. पर (चेन्नई बाइपास चरण I) पर संविलयन तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के 13.800 कि.मी. से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के 12.600 कि.मी.(चेन्नई बाइपास चरण II) पर संविलियन तक (नया चैनेज 0.000 कि.मी. से 32.600 कि.मी. चेन्नई बाइपास रारा-4 और 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर खण्डों, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु करार किया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1321

(अ), तारीख 11 जून, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या करने से लोप करा दी गई है, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए व्यय, निवेशित पुंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई शून्य किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और पचास करोड़ रूपये या अधिक की लागत वाले पुलों/संरचनाओं, के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और नीचे सारणी (1) में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर दस करोड़ रूपये या अधिक की लागत वाले बाइपासों हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क का संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

IndiaCode

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा)						
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	भारी निर्माण मशीनरी अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन चार से छह धुरी वाले	बड़े आकार के वाहन सात या अधिक धुरी वाले
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

टिप्पणियां :

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु,, शोध्य और संदेय होगा;

IndiaCode

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज 16.500 (तिरूवल्लूर जिले में बंगरम गांव के पास)	शून्य
किमी/चैनेज 28.600 (तिरूवल्लूर जिले में सुरापट्टू गांव के पास)	शून्य

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	दस करोड़ रूपए से अधिक की लागतवाले वाइपासों की लम्बाई (किमी) जिनके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज 16.500 (तिरूवल्लूर जिले में बंगरम गांव के पास) चेन्नई बाइपास चरण I	19.200
किमी/चैनेज 28.600 (तिरूवल्लूर जिले में सुरापट्टू गांव के पास) चेन्नई बाइपास चरण II	10.476

सड़क उपयोक्ताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे पहले पड़नेवाले टोल प्लाजा पर चरण 1 और II के लिए पूरे शुल्क का भुगतान कर दें और रसीद दिखाकर दूसरे टोल प्लाजा को पार कर जाये । अन्यथा सड़क उपभोक्ता जिस बाइपास का उपयोग करने जा रहे हों उसके लिए ही शुल्क का भुगतान कर सकते हैं ।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/ संरचना (संरचनाओं) जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है के उपयो के लिए, निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा(प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	पुल की लंबाई (कि.मी. में) तथा लागत (करोड. रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
किमी/चैनेज 28.600 (तिरूवल्लूर जिले में सुरापट्टू गांव के पास) चेन्नई बाइपास चरण II	लम्बाई	लागत
	2.924 किमी	120.00 करोड़ रूपया

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:-

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

818 GI/13-2

8. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, तथा उसे तदनुसार, कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1128.114 करोड़ रूपये (एक हजार एक सौ अठ्ठाइस करोड़ ग्यारह लाख चालीस हजार रूपये मात्र) हैं। जिसकी वूसली सीओडी की तारीख से की जानी है । पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के विधमान मूल्य के माध्यम से की जाएगी जिसमें 12 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी । वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से जिसे इसमें इसके पश्चात् "दिवस ख" संदर्भित किया गया है) उपयोक्ता शुल्क (टोल) का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और बोली की नियत तिथि तक आगे और संशोधनों के अधीन उपलब्ध अनुप्रयोजय दरों पर किया जाएगा । जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दिवस क" संदर्भित किया गया है) उस दिन से दिवस क तक ली जा रही शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा । यदि किसी स्थिति में, किसी कारणवश, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) को 90 दिन तक आगे बढ़ा दिया जाता है या स्थगित किया जाता है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जायेगा तथा इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के तीस दिन के भीतर रियायतग्राही को सूचित किया जाएंगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/740/सीओ/12-13/जीसी-चेन्नई बाइपास फेस-I & II (ओएमटी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2013

S.O. 484(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 393 (E), dated the 12th May, 1998 and Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097 (E), dated the 4th August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch taking off from kilometer 27.800 of NH-45 and joining at kilometer 13.800 of NH-4 (Chennai Bypass Phase-I) and starting from kilometer 13.800 of NH-4 and joining at kilometer 12.600 of NH-5 (Chennai Bypass) to respectively in the State of Tamil Nadu, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s MEP Chennai Bypass Toll Road Private Limited, having its registered office at 410 Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri East – 400 072, Maharashtra (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 26.11.2012 for the operation and maintain of the sections taking off at kilometer 29.151 of National Highway No 45 and merging at kilometer 13.800 of National Highway No 4 (Chennai Bypass Phase I) and taking off at kilometer 13.800 of National Highway No 4 and merging at kilometer 12.600 of National Highway No 5 (Chennai Bypass Phase II) (new chainage Km 0.000 to Km 32.600, Chennai Bypass NH- 4 & 45) (hereinafter referred to as the "said section") on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1321(E), dated the 11th June, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of nil Kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in Table No 2 for bridges/ structure costing Rupees Fifty Crore or more and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)						
Cost of permanent bridge or tunnel (rupees in crores)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus (Two axles)	Three-axle Commercial Vehicles	HCM, EME or MAV (four to six axles)	Oversized Vehicle (seven or more axles)
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees one hundred crores and upto rupees two hundred crores.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch 16.500 (near village Vanagaram in Tiruvallur district)	Nil
Km/Ch 28.600 (near village Surapattu in Tiruvallur district)	Nil

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass at the following Toll Plaza: ...

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) of bypasses costing more than 10 crores for which additional fee is payable
Km/Ch 16.500 (near village Vanagaram in Tiruvallur district) Chennai Bypass Phase I *	19.200
Km/Ch 28.600 (near village Surapattu in Tiruvallur district) Chennai Bypass Phase II *	10.476

* Road users have the option to pay full fee for Phase I & II at the first fee plaza encountered and cross the second fee plaza by showing the receipt. Otherwise the road user can pay fee for the one bypass going to be used by him/her.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch 28.600 (near village Surapattu in Tiruvallur district) Chennai Bypass Phase II	2.924 Km	Rs 120.00 Crore

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly, provided that no revision shall be effected within six months.

11. The present value of capital cost of the Project to be recovered from the date of COD, is Rs. 1128.114 Crores (Rupees One Thousand One Hundred Twenty Eight Crores and Eleven Lakh Forty Thousand only) (the Capital Cost) the Capital Cost shall be recovered through present value of Concession Fee which shall be discounted at the rate of 12%. From the commercial operation date (hereinafter referred as "Day B") toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered (hereinafter referred as "Day A"), the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged upto Day A. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed upto 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F. No. NHAI/13013/740/CO/12-13/GC-Chennai Bypass Phase-I & II (OMT)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.